

02.09.22 अतिरिक्त उपस्थापित। अजीलाकी एवं उत्तलादी
उपस्थित। अजीलाकी द्वारा दाखिल निबंधित
केवाला को निरस्त करने हेतु आवेदन को
राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग,
झारखण्ड, राँची के परिपत्र संख्या-930/110
दिनांक - 21.09.2016 के कालौक में प्रारम्भ
किया गया था।

राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
झारखण्ड, राँची के पत्रांक - 232 दिनांक -
08.06.2022 से प्रतिरूपण या जलत दस्तावेज
एवं साक्ष्य द्वारा कपटपूर्ण तरीके से निबंधित
दस्तावेजों को जिला निबंधक द्वारा रद्द करने
से संबंधी परिपत्र सं० - 930 दिनांक - 21.09.2016

इस क्रियान्वयन को विभाग द्वारा अगले आदेशों
तक लगातार रखने का निर्णय लिया गया है।
उक्त विभागीय निर्णय के आधार पर यह
वाद अब इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं
है। अतः विभागीय पत्रांक - 232 दिनांक -
08.06.2022 के आलोक में वाद की आगामी
समाप्ति की जाती है। इस आदेश से उभय
पक्षों के अधिकारियों को दक्षित करा दें।
अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।
लेखापित एवं संशोधित।

Seen
NR
7/9/22


02/09/22

उपायुक्त, लातेहार।


02/09/22

उपायुक्त, लातेहार।